राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रेम उर्फ़ प्रेमनारायण बनाम शारदा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1244/2025	
19/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/06/2025 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को स्वयं विवादग्रस्त भूमि के मौके पर उपस्थित होकर उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे राहत को मध्यनजर रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स(राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21) की पालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/06/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे प्रकरण के तथ्यों को विवेचन/विश्लेषण करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/06/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत विवेचित करते हुये	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रेम उर्फ़ प्रेमनारायण बनाम शारदा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	